147
133

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक सी–3–4/06/3/1 भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
सामस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।

विषयः– शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बावत्।
संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–3–7/2000/1/3 दिनांक 22.1.07

———

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा के दौरान दिवंगत शासकीय कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में संदर्भित ज्ञापन दिनांक 22.1.07 को निर्देश जारी किये गये है। उपरोक्त ज्ञापन की कंडिका 9. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया की विन्दु क. 9.2 एवं बिन्दु कं 9.11 से 9.14 तक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

<u>संशोधन</u>

विन्दु क्रमांक 9.2 की अन्तिम पंक्ति ''जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले नियुक्ति दी जावेगी '' के पश्चात् निम्नलिखित पंक्तियां स्थापित की जाये :–

''परन्तु यह कि अगर दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरण में कोई जांच विचाराधीन है तो उनके लिए पद सुरक्षित रखकर अन्य दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूची की वरीयता के अनुरूप नियुक्ति दी जा सकेगी''।

बिन्दु क्रमांक 9.11 से 9.14 के स्थान पर निम्नानुसार बिन्दु स्थापित किये जायें :–

9.11 – ''जिला कार्यालय में संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों की अद्यतन सूची रखी जायेगी''

9.12 – ''यदि आवेदक संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति का इच्छुक है तो वह संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।''

9.13 ''कलेक्टर बिन्दु क्रमांक 9.12 में प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन–पत्र का सत्यापन उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख जहां दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था से करवाएगा।''

9.14 ''सत्यापन उपरांत बिन्दु क्रमांक 9.11 में संधारित सूची में उपलब्ध रिक्त स्थानों में से आवेदक के चाहे अनुसार स्थान पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर संबंधित स्थानीय निकाय के नियुक्तिकर्ता अधिकारी को नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दे

2/ बिन्दु क्रमांक 9.12 से 9.14 की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा एक माह में पूर्ण की जावेगी।

3/ उपरोक्त संशोधनों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक सी–3–4/06/3/1 **भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2008**

प्रतिलिपिः–

1.रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रेदश जबलपुर
2.सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5 राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10.सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्ड पीठ इन्दौर, ग्वालियर/जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रेदश,मंत्रालय भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19 अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20 अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।

हस्ता/–
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन